सारांशिका

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। अतः उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योकि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं समाज में फैली लैंगिक असमानता, शोषण व उपेक्षा जैसी समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम होगी। इसलिए महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमता का विकास करके ही विकसित समाज एवं राष्ट्र की कल्पना करना सम्भव है। अतः महिलाओ को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनने में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है।

देश की समृद्धि एवं विकास में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। इस प्रकार शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की समुचित व्यवस्था और सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो के विकास एवं पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति के लिए संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधानों का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत देश के समस्त बच्चों के लिए संविधान लागू होने के 10 वर्षो के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा के समान अवसर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, हिंदी भाषा का विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अनेक प्रावधान बनाए गए है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 (भाग 4) में प्रत्येक राज्य को 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की

व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। निर्धारित लक्ष्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए संसद द्वारा सन 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसका परिणामी विधान 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) 1 अप्रैल 2010 लागू किया गया।

संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के साथ–साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक आयोग, समितियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए, इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग (1948–49) माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग (1952–53) का गठन किया गया । इसी प्रकार कोठारी आयोग (1964–66) ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर का विस्तृत अध्ययन किया और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कंप्रिहेंसिव विद्यालय, त्रिभाषा सूत्र, पत्राचार पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1986) की घोषणा की गई इसके अंतर्गत देश में पाठ्यक्रम/ शैक्षिक अवसरों की समरूपता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अर्थात कोर पाठ्यक्रम की संकल्पना, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, ग्रामीण बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा,

जनसंख्या शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था करना इस शिक्षा नीति के प्रमुख तत्व है।

नई शिक्षा नीति 1986 में यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 5 वर्षों में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा कई समितियों का गठन भी किया गया। इसी कड़ी में श्री जनार्दन रेड्डी के अध्यक्षता में 'कैब कमेटी' का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत सुझाव को संशोधित शिक्षा नीति (1992) अर्थात कार्य योजना (1992) भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। शिक्षा के क्षेत्र का सार्वभौमीकरण करने तथा सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को दूर करने, देश के सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की भी घोषणा की, इसके अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), सर्व शिक्षा अभियान (2000–01), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (2013), आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित और केन्द्र द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरूआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नवम्बर 2000 में किया गया तथा यह जनवरी 2001 से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया। इस कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं) के बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर विशेष

ध्यान दिया गया है। अतः इसका मुख्य लक्ष्य विविध रणनीतियों के माध्यम से स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 6–11 वर्ष के आयु वर्ग तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है (मानव संशाधन विकास मंत्रालय, 1999)।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों, तथा वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिल करना है।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को आठ वर्ष की बुनियादी शिक्षा पूर्ण करवाना।
- जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यालय में सभी प्रकार के लैंगिक तथा सामाजिक अन्तराल को प्राथमिक स्तर पर 2007 तथा बुनियादी स्तर (उच्च प्राथमिक) पर 2010 तक समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं की शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा में बालक–बालिका और सामाजिक अन्तर को समाप्त करना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित बालिकाओं की शिक्षा में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। इस अभियान

में बालिकाओं के लिये कई महत्वाकांक्षी योजनायें शामिल की गयी हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004) जो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, जहां बालिकाओं का विद्यालय आवास से काफी दूर हो तथा उनकी सुरक्षा की चुनौती होती हो। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये 75 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं के लिये 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रिपोट 2016)। स्वच्छ विद्यालय के पहल के अन्तर्गत देश के सभी विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय बनवाना अनिवार्य है। इसके अलावा भी बालिकाओं के लिये अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है :

- आठवीं कक्षा तक की सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा दो सेट वर्दी उपलब्ध कराना।
- बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय की सुविधा।
- बीच में छोड़ चुकी बालिकाओं के लिये स्कूल शिविरों की व्यवस्था करना।
- अधिक उम्र की बालिकाओं के लिये सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
- बालिकाओं के शिक्षण के लिये 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- बालक–बालिकाओं को एक समान शिक्षा देने के लिये शिक्षक संवेदीकरण (संवेदनशील) कार्यक्रम का आयोजन करना।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहयोग का प्रयास।

- विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं ड्राप आउट को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकता आधारित सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले को 'अभिनव कोष' की सुविधा प्रदान करना।
- बालिकाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिये सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।

अध्ययन की समस्या

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बालिकाओं के नामांकन दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परन्तु उनमें अधिगम गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विश्व बैंक के अनुसाार ''भारत में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता कमजोर अधिगम के रूप में देखी जा सकती है।'' यहाँ 5वीं कक्षा के आधे बच्चे ही तीसरी कक्षा के स्तर की किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं तथा सरल गणित के सवाल हल नहीं कर सकते। समान्यतः भारत में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की दर अधिक है लेकिन अनेक शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि विद्यालय के अचानक निरीक्षण के समय अधिकांश विद्यार्थी (लगभग 60 प्रतिशत) अनुपस्थित पाये गये। यह समस्या मुख्यतः सभी पिछड़े राज्यो में देखी गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। इस कार्यक्रम के द्वारा पिछले वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि हुई है परन्तु वर्तमान में कई विद्यालय ऐसे है जहां छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक है। कुछ विद्यालय एक शिक्षक के द्वारा चलाया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है परन्तु उत्तर प्रदेश में अभी भी 77.9 प्रतिशत विद्यालयों में ही महिला शिक्षक उपलब्ध हैं।

विद्यालय में शैक्षणिक बुनियादी सुविधायें जैसे–ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय का आभाव, विद्यालय भवन की कमी, महिला शिक्षकों की कमी, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, यातायात सुविधाओं का अभाव आदि भी बालिकाओं की शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालय की कमी आज भी उनके शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बालिकाओं के परिवार की कमजोर आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति भी अधिगम गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अभिभावक बालिकाओं के शिक्षा पर धन व्यय करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है।

अतः इन समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि निम्न अधिगम गुणवत्ता के क्या कारण है ? तथा यह अधिगम गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है ?

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।
2. परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं के अभिभावकों की सामाजिक – आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति

शोध अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध 'सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता' पर आधारित है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक को चुना गया है । सरेनी ब्लाक के आठ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पाँच के 130 बालिकाओं का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय के समस्त बालिकाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम प्रधान तथा समस्त बालिकाओं के अभिभावकों का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता : रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' की प्रकृति गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार की है। गुणात्मक विधि में गहन साक्षात्कार, केन्द्रित समूह चर्चा, के प्रश्नों को शामिल किया गया है । तथा परिमाणात्मक विधि में कलोज्ड इंडेड प्रश्नों को शामिल किया गया है । प्रस्तुत शोध में आकड़ों का संकलन वैयक्तिक, पारिवारिक तथा विद्यालय के स्तर पर किया गया है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक तथा अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। इस प्रारूप में शोध विषय के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके

अन्तर्गत उद्देश्यों का निरूपण, तथ्य संकलन, परिणामों का विश्लेषण तथा अंतिम स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया गया है ।

तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से शोध विषय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी संस्थानो के प्रतिवेदनों ,सर्वेक्षण के आकड़े, शोध प्रतिवेदन, शोध पत्र, शोध आलेख, इण्टरनेट से प्राप्त सामग्री तथा शोध विषय से सम्बन्धित अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया है ।

अध्ययन का निदर्शन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु दैव निदर्शन तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को शामिल किया गया है।

अध्ययन की इकाई/ उत्तरदाताओं का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद का चुनाव किया गया है। रायबरेली जनपद की साक्षरता दर (67.25 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से कम हैं। शोधार्थी द्वारा रायबरेली जनपद के समस्त ब्लाकों में से सरेनी ब्लाक को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है क्योंकि यहाँ प्रति विद्यालय बालिकाओं नामांकन दर 36.30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियो का नामांकन दर 32.43 प्रतिशत (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय 2017) । जो अन्य ब्लाकों की तुलना में सबसे कम हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से सरेनी ब्लाक के आठ

विद्यालयों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विद्यालय की समस्त बालिकाओं का चयन किया गया है । अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को वैयक्तिक, पारिवारिक ,तथा समुदायिक स्तर पर विभाजित किया गया है । इसके अंतर्गत बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता के स्तर का परीक्षण उनके भाषा तथा गणितीय ज्ञान के समझ के आधार पर किया गया है तथा अभिभावक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से साक्षात्कार किया गया है ।

तथ्य संकलन के उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक तथ्यों, आकड़ों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु सर्वेक्षण तथा अवलोकन विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें आंकड़ों का संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है ।

संकलित आकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण व सरणीयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर सम्पादन प्रक्रिया के माध्यम से यह ज्ञात किया गया है, कि समस्त सूचना संकलित कर ली गयी है। संकलित एवं सम्पादित सूचना का वर्गीकरण करके इन्हें सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध किया गया है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्तमान समय में 'सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवता' के ज्ञान परीक्षण से सम्बन्धित है। यह अध्ययन रायबरेली जनपद के सरेनी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधरित है। इस अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान तथा बालिकाओं में अधिगम गुणवत्ता की स्थिति सम्बन्धी विवरण विशेष रूप

से महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है :

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विद्यालयों में यदि कक्षा के कमरों की उपलब्धता को देखा जाए तो 25 प्रतिशत विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए कमरें उपलब्ध नही है तथा छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं है। कक्षाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कक्षाओं में प्रकाश की उचित व्यवस्था है। विद्यालय की सभी कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है जिसमें से अधिकाशतः की स्थिति संतोषजनक है। चयनित सभी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हैं। लेकिन उनकी नियमित साफ सफाई नहीं होती है। पेयजल का मुख्य स्त्रोत हैण्डपम्प हैं।

सभी चयनित विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है सर्वाधिक विद्यालय में बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय है। तथा इनका उपयोग भी हो रहा है। किसी भी शौचालय में नल से पानी की व्यवस्था नहीं है। इन विद्यालयों में से लगभग पचास प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की साफ–सफाई एवं रख–रखाव की उचित व्यवस्था नहीं है।चयनित विद्यालयों की पुस्तकालयों की स्थिति दयनिय है। छात्रों की आवश्यक किताबें से सर्वाधिक विद्यालयों में से सर्वाधिक विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं है खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं है।बच्चों के लिए खेलों का आयोजन नहीं होता है। यदि शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता को का विवरण देखे तो निष्कर्ष निकलता

है कि सभी शिक्षक स्नातक तथा परास्नातक है। समस्त शिक्षक शिक्षित है,तथा अधिकाशतः शिक्षक विद्यालय में उपस्थित पाये गये।

बालिकाओं के परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। प्राप्त निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि चयनित विद्यालयों में हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म की बालिकाएं ही मुख्य से नामांकित है। यदि जाति श्रेणी के आधार पर देखा जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अध्ययन कर रही है। जिसमें सामान्य जाति के 14, अन्य पिछड़ा वर्ग की 65, अनुसूचित जाति की 38 तथा अल्प संख्यक वर्ग की 13 बालिकाएं शामिल है। बालिकाओं के परिवार का स्वरूप संयुक्त तथा एकांकी दोनों प्रकार का है जिसमें 67 परिवार संयुक्त तथा 63 एकांकी है। बालिकाओं के अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अधिकांश बालिकाओं के अभिभावक अशिक्षित हैं तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये है। बहुत कम स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है बालिकाओं के माता की शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। 130 माताओं में से 59 अशिक्षित है किसी ने भी स्नातक नहीं किया है। बहुत ही कम संख्या में अभिभावक हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्त्र की शिखा ग्रहण की है। बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके व्यवसाय के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकाशतः बालिकाओं के पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा मजदूरी है। इसके अलावा ड्राइवर, अण्डे की दुकान, फूल माला की दुकान, तांगा चालक, पान की दुकान, पेन्टर, सब्जी तथा फल विक्रेता के रूप में कार्यरत है। बालिकाओं के माताओं का

व्यवसाय देखने से ज्ञात होता है कि अधिकाशंतः माताए गृहणी है, इसके अतिरिक्त कुछ माताए कृषि एवं मजदूरी का कार्य भी करती है। बालिकाओं के अभिभावकों की मासिक आय के विश्लेषण से पता चलता है कि सर्वाधित अभिभावकोकी मासिक आय के विश्लेषण से पता चलता है कि सर्वाधित अभिभावकों की आय 5 हजार तक ही है। इसके बाद 5 हजार से 10 हजार के आय वर्ग के लोग शामिल है। दस हजार से अधिक कमाने वाले अभिभावकों की संख्या बहुत ही कम है। बालिका के नामांकन तथा उपस्थिति का विवरण श्रेणी एवं लिंग के आधार पर किया गया है। यदि नामांकन की स्थिति का विश्लेषण करें तो इन विद्यालयों में बालको की तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक है। यदि श्रेणी के आधार पर विश्लेषण करे तो सामान्य श्रेणी के 109 नामांकन बालिकाओं में से 85 बालिकाएँ उपस्थित है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग में 606 में से 442 बालिकाए उपस्थित है। अनुसूचित जाति में कुल 353 में 235 तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 131 में 93 बालिकाएँ उपस्थित है। इसी प्रकार चयनित विद्यालयों के बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि यदि हिन्दी पढ़ने की ज्ञान की बात करे तो कुल 130 बालिकाओं में 124 बालिकाओं को अक्षर ज्ञान है। 87 को शब्द ज्ञान, 68 को पैराग्राफ पढ़ने का ज्ञान तथा 48 को कहानी पढ़ने का ज्ञान है।

इसी प्रकार बालिकाओं के अंग्रेजी पढ़ने की ज्ञान का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि कुल 130 बालिकाओं में से 104 को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का ज्ञान है, 87 को छोटी अक्षरों का, 25 बालिकाओं को शब्दों का

ज्ञान है तथा केवल 4 बालिकाएँ ही पैराग्राफ एवं कहानी पढ़ सकी है। गणित की स्थिति का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल 130 बालिकाओं में से 116 को 0–9 तक की संख्या का ज्ञान है, 100 को 10–99 बालिकाओं को जोड़, 55 को घटाना, 26 को गुणा तथा 25 को भाग का हल करने का ज्ञान है। इसके अलावा यदि विद्यालय की बुनियादी सुविधा एवं शिक्षकों का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखे तो जिन विद्यालयों की बुनियादी सुविधा अच्छी है। वहाँ बालिका की अधिगम गुणवत्ता अच्छी है। अतः विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं का सीधा प्रभाव बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर पड़ता है।

जबकि अध्ययन क्षेत्र में शिक्षकों की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का अधिगम गुणवत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं प्राप्त हुआ। जिन बालिकाओं के अभिभावकों की आय अच्छी है, उन बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता भी अच्छी है। यहां काई स्क्वायर का परीक्षण करने पर उसका मान 12.9479 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः अभिभावकों की आय तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। विद्यालय की माता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर उसका मान 35.392 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है।

इसी प्रकार पिता के शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता का संबंध देखने से ज्ञात होता है, जहां काई स्क्वायर के परीक्षण करने पर

उसका मान 45.753 तथा P का मान 0.001 है जो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि P का मान उसके अनुकूलतम स्तर 0.05 से कम है। अतः विद्यालय की पिता की शिक्षा तथा बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता के बीच धनात्मक संबंध है। इस प्रकार बालिकाओं की अधिगम गुणवत्ता पर माता–पिता की शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है। माता–पिता के व्यवसाय का बालिकाओं के अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता के व्यवसाय की P वैल्यू का मान 0.167 तथा पिता के व्यवसाय की P का मान 1.45 है जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या जहाँ 5 से कम तथा 5 से अधिक सदस्य है और परिवार के प्रकार चाहे संयुक्त परिवार हो या एकांकी परिवार हो, बालिकाओ की अधिगम गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ P का मान क्रमशः 0.46 तथा 0.274 है, जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है। जो P की अनुकुलतम स्तर 0.05 के मान से अधिक है।

सुझाव :

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उपलब्ध आकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं जो इस प्रकार है :

1. विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाया जाना चाहिए तथा विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं में बदलाव आवश्यक है। सभी कक्षाओं के लिए कमरे उपलब्ध हो, कक्षाओं में छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। गर्मियों के लिए कक्षा–कक्षा में पंखो की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों का शारिरिक विकास के लिए

खेल–कूद का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए। तकनीकी सुविधाएँ बढ़ायी जाए।

2. शिक्षण पूर्ण रूप से शिक्षण कार्यों पर ध्यान दे सके इसके लिए उन्हें शिक्षणोत्तर कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। सभी कक्षाओं के लिए पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. शिक्षा को भयमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण करने की व्यवस्था हो। बच्चों के शिक्षण का सतत मूल्यांकन हो। बच्चों को समय से शिक्षण सामग्र उपलब्ध करायी जाए।

4. शिक्षकों को चाहिए कि वह शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अधिक समय दें शिक्षा बाल केन्द्रित हो।

5. कम बच्चों की संख्या को बन्द कर दिया जाए एक ग्राम सभा में एक से अधिक विद्यालयों को बन्द किया जाए ।

6. बालिकाओं के शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वो उनके पढ़ाई ने सहयोग करें।